उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

कार्मिक- 4 (जे०सी०एम०) पत्रावली संख्या-7, ई०एम०/81 (संयुक्त सलाहकार समिति)
लखनऊ दिनांक 28.02.83 के अन्तर्गत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

अध्यक्ष
अतुल त्रिपाठी
मो0-9415307404

उपाध्यक्ष
संतोष कुमार उपाध्याय
मो0-9415635031
प्रियंका मिश्रा
मो0- 9891594705

महामंत्री
अमित कुमार निर्मल
मो0-9452273850

संयुक्त मंत्री
लवी आर्या
मो0-9415259239

इंगिता पाण्डेय
मो0-8601969713

कोषाध्यक्ष
आशीष पाण्डेय
मो0-7905443606

प्रकाशन मंत्री
नेहा कुमारी
मो0-9313237768

सम्प्रेक्षक
लक्ष्मी शंकर बाजपेयी
मो0-9473979630

पत्रांक 29/2019 दिनांक 15.8.2019

सेवा में,

माननीय आबकारी मंत्री
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

विषयः— **आबकरी विभाग की वर्दी नियमावली में कतिपय विसंगतियों को सुधरवाने एवं निरीक्षक संवर्ग की वर्दी को राजपत्रित पद प्रतिष्ठा के अनुरूप संशोधित कराये जाने विषयक।**

महोदय,

कृपया पत्र के साथ संलग्न आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके माध्यम से आबकारी विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये वर्दी (युनिफ़ार्म) का निर्धारण किया गया है। (संलग्नक-1)

उक्त आदेश में वर्णित व्यवस्था के अवलोकन से स्पष्ट है कि "आबकारी विभाग के राजपत्रित श्रेणी के अधिकारी वर्दी में नीली लेनयार्ड (डोरी) एवं नीली बैरट कैप धारण करेंगे" इस व्यवस्था का पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है। जबकि वर्तमान में पुलिस अधिकारियों की भांति आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त एवं उप आयुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा भी राजपत्रित श्रेणी के अनुरूप धारण की जाने वाली वर्दी में नीली लेनयार्ड एवं नीली बैरट कैप का प्रयोग किया जाता है। पूर्व में इस विसंगति की ओर ध्यान न जाने से इसका सुधार अभी तक नहीं हो सका है।

Scanned with CamScanner

अवगत कराना है कि आबकारी निरीक्षक संवर्ग को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा 28 नवम्बर 2016 को राजपत्रित पद प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गयी है | (संलग्नक-2) राजपत्रित पद प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप निरीक्षक संवर्ग द्वारा धारण की जाने वाली वर्दी उक्त आदेश में वर्णित राजपत्रित अधिकारियों के श्रेणी के समतुल्य तथा उपरोक्त विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से वांछित संशोधनों का एक प्रस्ताव आबकारी विभाग द्वारा संस्तुत किया गया था | उक्त प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण पाते हुए ही तत्कालीन आबकारी आयुक्त महोदय एवं प्रमुख सचिव महोदया द्वारा अभिमत हेतु गृह विभाग को संदर्भित किया गया | गृह विभाग द्वारा भी उक्त संशोधनों पर अनापत्ति प्रदान की जा चुकी है |

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को शासन द्वारा प्रासंगिक न होने के आधार पर अनौचित्यपूर्ण पा अस्वीकृत कर दिया गया है |

उक्त के परिप्रेक्ष्य में सादर अवगत कराना है कि आबकारी निरीक्षक संवर्ग समूह "ख" का राजपत्रित पद प्रतिष्ठा प्राप्त संवर्ग है जिसकी भर्ती का स्त्रोत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (PCS) है | महोदय के संज्ञान में यह भी लाना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी विनियम के परिशिष्ट "क"-"राजपत्रित अधिकारियों के लिए निर्धारित वर्दी " में स्पष्ट उल्लेख है कि सब डिवीजन के प्रभारी / समकक्ष तीन सितारे लगायेंगे एवं राजपत्रित अधिकारियों के बिल्ले / सितारे श्वेत धातु के होंगें | (संलग्नक-3)

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सादर अनुरोध है कि कृपया उपरिवर्णित विसंगति का तत्काल संज्ञान ले उसका सुधार करने एवं राजपत्रित संवर्ग हेतु अनुमन्य वर्दी के अनुरूप ही राजपत्रित पद प्रतिष्ठा प्राप्त निरीक्षक संवर्ग की वर्दी के संशोधन का प्रस्ताव पूर्णतः औचित्यपूर्ण है |

अतः सादर अनुरोध है कि संवर्ग की उपरोक्त मांग को स्वीकार करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने की कृपा करें | संघ सदैव आपका आभारी रहेगा |

संलग्नक : यथोक्त

Atripathi
14.8.19
(अतुल त्रिपाठी)
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

Scanned with CamScanner